

उपनिवेशवाद, संस्कृति और अर्थव्यवस्था: ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासन

डॉ. किरन झा

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर
ईमेल: kiranlamjha@gmail.com

सारांश : यह शोध आलेख उपनिवेशवाद के संदर्भ में ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासन की उत्पत्ति, प्रकृति और प्रक्रिया की अन्वेषण करता है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का शोषण किया गया और वह सस्ते कच्चे माल का स्रोत था। आजादी के बाद, वह मानव श्रम का स्रोत बन गया। यह उन आप्रवासियों की ओर अंग्रेजों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है जिन्हें न केवल अलग, बल्कि हीन दृष्टि से देखा गया। यह शोध प्रवासन के कारणों की श्रृंखला की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति तीनों अंतर्निहित हैं और भारतीयों के आप्रवासन से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए इनको जानना आवश्यक है। यह आलेख ऐतिहासिक साक्ष्य को स्पष्ट करने में एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को अपनाता है।

मुख्य बिंदु : आप्रवासन, उपनिवेशवाद, श्रृंखला प्रवासन, पंजाब, गुजरात।

1. प्रस्तावना :

ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासन की उत्पत्ति और विकास उपनिवेशवाद के इतिहास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। औपनिवेशिक इतिहास ने प्रवासन की प्रक्रिया, प्रवृत्ति और प्रवासियों के नागरिक और कानूनी अधिकारों को निर्धारित किया। इस संदर्भ के अंदर ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ जिसके अन्तर्गत भारत से ब्रिटेन में कई हजारों लोगों का प्रवासन हुआ। यह उन आप्रवासियों की ओर अंग्रेजों के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जिन्हें न केवल अलग, बल्कि हीन दृष्टि से देखा गया।

पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में, यूरोप के राष्ट्रों ने औपनिवेशिक विस्तार (लेटन-हेनरी 1984) के व्यापक अभियान की शुरुआत की। उन्नीसवीं शताब्दी तक, ब्रिटेन अग्रणी औपनिवेशिक शक्ति (बर्गे 1981:85) के रूप में उभरा। ब्रिटेन का विशाल साम्राज्य ब्रिटिश तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता के अलावा, कुछ मिथकों के निर्माण पर टिका हुआ था। इनमें ब्रिटिश श्रेष्ठता और विशिष्टता की धारणा सबसे मौलिक थी (ह्यूटनबैक 1976: 15)। भारत की अर्थव्यवस्था, अन्य उपनिवेशों की तरह, ब्रिटेन की आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई थी। औपनिवेशिक काल के दौरान व्यवस्थित रूप से शोषण किया गया, स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक बड़ा श्रमिक वर्ग था लेकिन इसे उत्पादक बनाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। जहाँ पहले भारत सस्ते कच्चे माल का स्रोत था, अब यह सस्ते श्रम का स्रोत बन गया।

इस शोध को दो खंडों में बांटा गया है। पहला खंड भारतीयों के प्रवासन के कारणों की एक श्रृंखला को दर्शाता है, और प्रवासन के दो मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा खंड पारिवारिक पहलू को चित्रित करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के प्रवासन वर्णन किया है। यह शोध एक ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए एक सामाजिक दृष्टिकोण अपनाता है। भारतीयों का ब्रिटेन में आप्रवासन के लिए अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों ही उत्तरदायी हैं।

2. प्रवासन के प्रतिरूप : विभिन्न कारक:

प्रवास के तंत्र को विभिन्न कारकों के सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए। कुछ ऐसे कारक हैं जो किसी व्यक्ति को कहीं और स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अपने वर्तमान निवास स्थान पर पूरी नहीं हो सकती हैं, जबकि अन्य कारक ऐसे हैं जो उन्हें ऐसे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं जहाँ नए और वैकल्पिक अवसरों की भरमार है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटिश सरकार ने 1948 में ब्रिटिश राष्ट्रीयता विधेयक पेश किया, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक ब्रिटिश नागरिकता भी अपना सकते थे। यह बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अश्वेत आप्रवासन (बेवन 1986:66, लेटन-हेनरी 1984:13) को प्रतिबंधित करने के लिए कानून तैयार कर रहे थे। ब्रिटिश नागरिकता के आकर्षण ने, ब्रिटेन में आप्रवासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ब्रिटेन के प्रवासन का एक विशेष पहलू है कि केवल कुछ छोटे क्षेत्र हैं जिनसे लोग उत्सर्जित हुए थे। यह पंजाब और गुजरात के कुछ जिलों तक ही सीमित थे। ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासियों का एक बहुत बड़ा भाग का गठन करने वाले सिख समुदाय मुख्य रूप से पंजाब के जालंधर और होशियारपुर के दो जिलों से आए, जो दोआबा (डेकिन 1970: 35) के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले ही पंजाब की अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण सिखों में प्रवासन की परंपरा थी। अंग्रेजों के आने के साथ, इस परंपरा को एक नवीन प्रोत्साहन मिला क्योंकि हजारों लोग सेना में शामिल हो गए। इसके जरिये वे विदेशों में गए, जहाँ उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और एक परायी भूमि में अप्रवासन का अवसर भी खोजा।

पिछली शताब्दी के अंत में पंजाब के सूखे इलाकों में एक नहर प्रणाली बनाई गई, जिसने इन इलाकों को समृद्ध गेहूं के खेतों में बदल दिया। भूमि के इन टुकड़ों को अधिकांश किसानों और सैन्य पेशनभोगियों को बेचा गया। भूमि अनुदान को सुरक्षित करने में असफल रहे लोग प्रवास करने के लिए विवश हुए, (अरोड़ा 1967:29)। प्रवास की यह प्रवृत्ति जो धीरे-धीरे विकसित हो रही थी 1947 में भारत के विभाजन के दौरान और बढ़ी। लाखों लोग बेघर और भूमिहीन हो गए। इसने सिखों को नए अवसरों (डेकिन 1970:36) को तलाश करने के लिए प्रेरित किया। देश का विभाजन उन कई कारकों में से एक था जिसने ब्रिटेन में सिख प्रवासन को प्रेरित किया।

आबादी का दबाव प्रवास की प्रवृत्ति के साथ हमेशा से सम्बंधित रहा है। 1951 की जनगणना के अनुसार होशियारपुर के कुछ क्षेत्र और जालंधर जिले में आबादी का घनत्व सबसे अधिक था, (अरोड़ा 1967:25)। विभाजन के बाद प्रवासन के कारण पहले से ही मौजूदा जनसंख्या पर और अधिक दबाव पड़ा। भूमि विखंडन एक और अन्य कारण था जिस से प्रवासन में वृद्धि आयी। विभाजन के बाद, पंजाब में सभी भूमि को कानून द्वारा 30 एकड़ की उच्चतम सीमा पर निर्धारित कर दिया गया (डेकिन 1970:36)। चूंकि सिखों के बीच ज्येष्ठाधिकार की कोई प्रणाली नहीं है, इसलिए भूमि विरासत के माध्यम से खंडित हो जाती थी। 1950 के दशक में, जालंधर में सभी भूमि जोत लगभग एक चौथाई एकड़ (अरोड़ा 1967:26) से नीचे थे। इस प्रकार एक भूमिहीन मजदूर के जीवन से बचने के लिए सीमांत भूमिधारक, अक्सर ब्रिटेन में प्रवास करने के लिए अपने परिवार की क्रीमती सामान बेच देते थे। यह "आर्थिक" उद्देश्य प्रवासन का मुख्य प्रेरक बना।

प्रवासन की परंपरा को प्रवासियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी प्रेरणा मिली। पेटीग्रेव (1972:355) सिख प्रवासन को एक मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में देखती है जो भूमि के मालिक होने पर जोर देता है क्योंकि "भूमिहीन होना एक सामाजिक अभिशाप था और इसका तात्पर्य था उन लोगों की श्रेणी में आना, जो दूसरों के लिए काम करते थे, नौकर थे और इसलिए स्वतंत्र नहीं थे।" ऐसी सांस्कृतिक प्रणाली जहां भौतिक उपलब्धि सर्वोपरि थी और सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित करती थी, वहां सभी पर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का दबाव रहता था। इस संदर्भ में प्रवासन, भूमि के विखंडन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने के साधन के रूप में देखा जा सकता है।

देश विभाजन, जनसंख्या दबाव, भूमि जोत का विखंडन और भूमिहीनता पंजाब के सिखों के प्रवासन के कुछ मुख्य कारक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में श्रम की कमी और उच्च मजदूरी दर प्रवासन को प्रेरित करने के कुछ और कारक थे।

ब्रिटेन में आने वाले हिंदुओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। उनके लिए समुद्री यात्रा में अनुष्ठान अशुद्धता और जाति हानि शामिल थे। इसलिए कई हिन्दू प्रवास के विरुद्ध थे। हालांकि गुजरात के हिंदुओं के लिए यह बाधा साबित नहीं हुई। गुजरात भारत का दूसरा राज्य है जहां से कई आप्रवासी ब्रिटेन में आए। सिखों की तरह, गुजरातियों में भी प्रवासन की लंबी परंपरा रही है और वे सदियों से विदेशों में व्यापार करते रहे हैं। व्यापार की गतिविधियों ने एक व्यापारी वर्ग को जन्म दिया जो अक्सर दूरदराज के ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में जाते और वहीं बस जाते थे। इस प्रवासन में औपनिवेशिक तत्व एक बार फिर महत्वपूर्ण हो जाता है।

देश के विभाजन के बाद गुजरात से प्रवास की प्रक्रिया और अधिक बढ़ी। पंजाब की तरह, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा क्षेत्र बन गया था जहाँ विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ने लगी (क्रॉस 1972:17)। भूमि पर दबाव और व्यापक बेरोजगारी प्रवास के अन्य कारण थे। इसके साथ-साथ ब्रिटेन में और अधिक कमाई करना और वित्तीय स्थिति में सुधार लाना संभव था। ब्रिटेन में बसे अधिकांश गुजराती सूरत, चरोतार, कच्छ, काठियावार, बड़ौदा, भरुच और बारडोली के जिलों से आए थे (हाहलो 1980:296)।

श्रम प्रवासियों के अलावा भारतीयों की अन्य श्रेणियां भी थीं, जो 1960-1970 के दशक के दौरान ब्रिटेन में आये। व्यावसायिक कुशलता के कारण आप्रवासन पर कड़े नियंत्रण के बावजूद, इन्होंने ब्रिटेन में प्रवेश किया। ये सामान्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, प्रकाशविज्ञानशास्त्री, व्यवसायी, लेखाकार, इंजीनियरों, विश्वविद्यालय व्याख्याता, और विधिवक्ता और वकील थे। अधिकांश लोग सीधे भारत से आए थे, हालांकि पांच में से एक ने अफ्रीका में समय बिताया था (रॉबिन्सन 1990:292)। केन्या, युगांडा और तंजानिया जैसे देशों में अफ्रीकीकरण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, भारतीयों का एक बड़ा समूह अफ्रीका से ब्रिटेन की ओर स्थानांतरित हो गया।

अफ्रीका के पूर्वी तट और भारत के बीच यूरोपीय लोगों के आगमन के पहले से ही व्यापार हो रहा था। भारतीय लोग अफ्रीका के आर्थिक गतिविधि में हावी रहते थे। और उन्नीसवीं शताब्दी (घई और घई 1970:2) के मध्य तक विभिन्न अफ्रीकी देशों में भारतीय बस्तियों की स्थापना हुई। भारतीयों की एक बड़ी संख्या, जैसे कि रेलवे बिल्डर्स, श्रमिक, कारीगर, क्लर्क, लेखाकार और सैनिक ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अफ्रीका आए।

अफ्रीका में अपने उपनिवेशी व्यवस्था के विकास के दौरान, ब्रिटेन ने कई भारतीयों को अर्थव्यवस्था के विकास उत्थान के लिए आयात किया (अरोड़ा 1967:28)। इन भारतीयों ने ब्रिटिश और देशी अश्वेतों के बीच एक संपन्न और मेहनती मध्यम वर्ग का गठन किया। 1960 के दशक में केन्या और तंजानिया ने अफ्रीकीकरण की नीतियों को अपनाया। जिसके पश्चात् इन देशों के अधिकांश भारतीयों ने ब्रिटेन में प्रवास करने का विकल्प चुना क्योंकि वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे। 1972 में, युगांडा ने वहां बसे भारतीयों को 90 दिनों में देश छोड़ने के लिए विवश किया और उनकी संपत्ति के निर्वासन का आदेश दिया (बेवन 1986:197)।

इस घटना के बाद लगभग 28,000 भारतीय ने ब्रिटेन में प्रवेश किया। अधिकांश भारतीय गुजराती थे, कुछ हिन्दू पंजाबी तथा सिख भी थे।

प्रवासी आजीविका की तलाश में, ब्रिटेन के उन क्षेत्रों में बसने लगे जहाँ श्रमिकों की कमी थी। हालांकि, दाह्य (1973), और पेटीग्रेव (1972) का तर्क है कि प्रवास का आर्थिक उद्देश्य तो था ही क्योंकि प्रवासियों ने अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अपना देश छोड़ा था। लेकिन इस आय का उपयोग भारत में रहने वाले परिवार के सदस्यों और पारिवारिक स्थिति में सुधार के लिए किया जाता था। प्रेषण का उपयोग प्रवासन को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था, और फिर मौजूदा भूमि-जोत में सुधार के लिए, पक्के घर बनवाने और लघु व्यवसाय को स्थापित करने के लिए भी इन पैसों का उपयोग किया जाता था। इस अर्थ में, प्रवासन को केवल आर्थिक लाभों की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उस मूल्य व्यवस्था के सन्दर्भ में समझना चाहिए जिसमें भौतिकवाद को प्राथमिकता दी जाती है।

3. परिवार और श्रृंखला प्रवासन:

प्रवासियों के लिए परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई थी। रिश्तेदार अक्सर प्रायोजक के रूप में कार्य करते थे, आवास और रोजगार की व्यवस्था करते थे तथा आवास के किराये में भी योगदान देते थे। अधिकांश प्रवासी भारत में अपने परिवारों को पैसे भेजने के लिए अधिक से अधिक बचत करते थे और स्वयं निम्न परिस्थितियों में रहते थे।

देश के विभाजन के बाद, 1950 की शुरुआत से, ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासियों के प्रवाह में वृद्धि हुई। चूंकि श्रृंखला प्रवासन का अनुरूप था, परिवार और रिश्तेदारी संबंधों ने आप्रवासन की प्रकृति और प्रक्रिया को निर्धारित किया। इसलिए नए प्रवासी अक्सर शुरुआती प्रवासियों के मित्र और रिश्तेदार हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत से शिक्षित प्रवासी भी आये जो अक्सर परिवहन विभाग में डाइवर्स और कंडक्टरों की नौकरियां करते थे। या फिर बेकरी में अकुशल या अर्ध-कुशल श्रमिकों (मन 1992:161) के रूप में कार्य करते थे। कुछ सालों बाद, जब वे पर्याप्त धन बचा लेते तो रेस्तरां और गोदामों में निवेश करते, किराने और समाचार पत्रों की दुकानों को खोलते और खुदरा और थोक व्यापारी बन जाते थे। अक्सर रिश्तेदार या मित्र ऋण या व्यावहारिक सहायता प्रदान करते थे। रिश्तेदारी का दायित्व पारस्परिकता की अपेक्षा के साथ पूरा किया जाता था।

1960-1962 की अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप से प्रवासी आगमन की संख्या में भारी वृद्धि हुई जिसे "बीट द बैन" के रूप में वर्णित किया गया। 1963-1972 की अवधि में केन्या, मलावी, तंजानिया और युगांडा के नए स्वतंत्र अफ्रीकी देशों से प्रवासियों और शरणार्थियों के आगमन को भी देखा गया। नतीजतन, 1970 तक ब्रिटेन में भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ा।

प्रवासन की श्रृंखला तब शुरू हुई जब ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी, भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के प्रवासन के लिए आर्थिक सहयोग देते थे। जब नए प्रवासी ब्रिटेन में नौकरी पा लेते तो उनकी सफलता की खबर उनके मूल निवास पहुँच जाती थी और फिर वे अपने परिवार, रिश्तेदार या गांव के अन्य सदस्यों को "प्रायोजित" करते थे (जेफरी 1976: 48)। इस तरह से एक प्रवासी अपने परिवार, कुटुंब और गाँव के अन्य सदस्यों का प्रायोजक बन जाता था और प्रवासन श्रृंखला बन जाती थी। शुरुआती आगमन के कुछ सालों बाद प्रवासी, पत्नियों और बच्चों को भी ब्रिटेन ले आते थे। अनवर (1979:21) के अनुसार यह श्रृंखला प्रवासन का दूसरा चरण था। परिवारों की पुनर्मिलन और स्थापना के साथ, प्रवासी समूह अपनी मूल संस्कृति को पुनर्जीवित कर लेते थे। जब इस संगठित सामुदायिक जीवन की खबर भारत पहुँचती तब वृद्ध, युवा और कम उत्साही लोग भी प्रवास के लिए प्रेरित हुआ करते थे। इस तरह से प्रवासन श्रृंखला विकसित होने लगी।

उपमहाद्वीप की आप्रवासी आबादी की एक विशेषता यह थी कि यह केवल पुरुषों तक ही सीमित थी। संयुक्त परिवारों में से अधिकतर जवान बेटे ही प्रवास करते थे और कभी कभी पिता अपनी पत्नी और बच्चों को परिवार के अन्य सदस्यों के सहारे छोड़कर ब्रिटेन चले जाते थे। इसलिए प्रवासी समुदायों में जनसांख्यिकीय असंतुलन था। ऑरोरा के अध्ययन (1967) ने अनुमान लगाया कि 1950 के दशक के अंत में सिख समुदाय में महिलाओं का अनुपात केवल 4 प्रतिशत था।

ब्रिटेन में पुरुष प्रवासियों के संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वे ब्रिटेन में अपने परिवारों के साथ बसेंगे। उन्होंने खुद को प्रवासी श्रमिकों के रूप में ही देखा जो ब्रिटेन में विशिष्ट आर्थिक उद्देश्यों के साथ आये थे। धन को जितनी जल्दी हो सके कमाना, जमा करना और उपमहाद्वीप में अपने परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यही उनका उद्देश्य था। लेकिन समय बीतने के साथ, अपने परिवारों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए घर लौटने की सोच अवास्तविक लगने लगी।

1960 के दशक में ब्रिटेन में आप्रवासन नियंत्रण का कानून प्रवासियों के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। 1950 के दशक से आप्रवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। ब्रिटेन में प्रवासियों के निरंतर वृद्धि के कारण ब्रिटिश समाज में असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हुई। रोजगार, आवास, शिक्षा, और ब्रिटिश सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभाव के संबंध में आपत्तियां उठाई गईं। इससे राष्ट्रमंडल में आप्रवासन पर पहला औपचारिक नियंत्रण लागू किया गया। प्रवासी मजदूरों के आब्रजन को रोकने के लिए 1962 में एक कानून अधिनियमित किया गया। इसके बाद, ब्रिटेन में संभावित बसने वालों की संख्या को कम करने के लिए अन्य आप्रवासन कानूनों को भी अधिनियमित किया गया और प्रशासनिक बाधाएं भी लागू की गईं। एक प्रतिक्रिया के रूप में, 1962 के

पहले छह महीनों में प्रवासियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। रोज़ (1969:77) "इस विरोधाभासी निष्कर्ष पर आते हैं कि नियंत्रण के समर्थकों ने ऐसी स्थिति बनाई जिसके कारण पहले से भी बड़ी दर से प्रवासन होने लगे।"

अप्रवासन कानून के लागू होने के बाद न केवल संख्याओं के संदर्भ में, बल्कि जनसांख्यिकीय संरचना के संदर्भ में भी अचानक परिवर्तन हुआ। जबकि आप्रवासन पर पहले वयस्क पुरुषों का प्रभुत्व था, नियंत्रण अधिनियमित किए जाने के बाद, अप्रवासी महिलाओं और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। यात्रा का खर्च और परिवारों के लिए उपयुक्त आवास ढूंढने की समस्या के बाद भी आप्रवासी पुरुषों ने अपने परिवारों को ब्रिटेन में लाना शुरू कर दिया। इसलिए नियंत्रण के संदर्भ में ब्रिटेन में महिलाओं और बच्चों के अप्रवासन को समझा जाना चाहिए।

उपमहाद्वीप के सभी समुदायों में आरजन में अंकुश के लिए समान रूप से प्रतिक्रिया नहीं हुई। सिख अपने परिवारों को ब्रिटेन में लाने वाले पहले समूह थे। 1950 के दशक के अंत से ही जब नियंत्रण आसन्न हो गया, तो सिख महिलाओं ने ब्रिटेन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। 1960 के दशक के मध्य तक, कई सिख पुरुष पहले से ही अपने परिवारों के साथ रहने लगे थे और अपने व्यक्तिगत घरों की स्थापना कर चुके थे। पंजाब और गुजरात के हिंदुओं ने भी सिखों के समान प्रवासन किया। पहले पहुँचने वाले प्रवासियों ने 1960 के दशक के मध्य तक खुद को स्थापित कर लिया था। जब आप्रवासन पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे तो हिन्दू महिलाएं भी ब्रिटेन में आने लगीं।

ब्रिटेन में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या को प्रभावित करने वाला एक और कारक यह था कि महिलाएं अपने किशोर पुत्रों के साथ ब्रिटेन आई थीं। जवान बेटियों को घर पर रिश्तेदारों के सरक्षण में छोड़ दिया जाता था। महिलाओं को ब्रिटेन में न लाने का एक सांस्कृतिक कारण भी था। कई समुदायों में महिलाओं को पुरुषों की उपस्थिति में अपनी मर्यादा तथा गरिमा को बनाये रखने की अपेक्षा की जाती थी (बल्लार्ड 1990: 232)। विदेशों में इन नियमों के सख्त पालन की सम्भावना कम थी। ब्रिटेन में प्रवेश करने वाली अधिकतर महिलाएं वहां पहले से ही रहने वाले प्रवासी पुरुषों के आश्रितों के रूप में आई थीं। ब्रिटेन में आने के बाद उनके जीवन में अधिक परिवर्तन नहीं आया। वे ब्रिटिश समाज से अलग रहती थी क्योंकि अधिकांश पुरुषों ने मेजबान समाज के जीवन को अवशोषित करने के बजाय अपने समूह के सदस्यों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने को प्राथमिकता दी थी।

हिंदू गुजराती आप्रवासी साक्षर थे और व्यावसायिक रूप से योग्य थे। पश्चिमी दृष्टिकोण को अपनाने के बाद भी वे अपनी महिलाओं के व्यवहार पर कड़े सामाजिक नियंत्रण लागू किया करते थे (रोज़, 1969: 470)। गुजराती समूह से बहुत कम महिलाएं काम करने के लिए बाहर जाती थीं क्योंकि इसके लिए पश्चिमी कपड़े पहनने पड़ते जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन था।

इसके विपरीत, सिख महिलाओं को बाहर जाने और काम करने की अनुमति देते थे। परंपरागत रूप से, सिखों के लिए भी, महिलाओं से बहार काम करवाना उनकी संस्कृति के विरुद्ध था, लेकिन ब्रिटेन में आर्थिक अवसरों की बाहुल्यता देखते हुए उन्होंने महिलाओं को बहार काम करने की अनुमति दे दी। ब्रिटेन में (अरोड़ा 1967) आर्थिक अवसरों के सामने अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को त्याग देना सिखों का व्यावहारिक दृष्टिकोण दर्शाता था। जब भी पारंपरिक मूल्यों और आर्थिक अवसरों के बीच संघर्ष होता तो सिख परंपरा को त्यागना ही उचित समझते थे। हालांकि, ऐसे उल्लंघनों को प्रवासी अक्सर पंजाब में अपने रिश्तेदारों से छुपाया करते थे (रोज़ 1969: 462)।

घर के बाहर काम करने के बावजूद, अधिकांश सिख महिलाएं मेजबान समाज के सदस्यों के साथ निकट संपर्क में नहीं आईं। इसका मुख्य कारण अंग्रेजी न बोलने की असमर्थता थी। साथ ही, काम करने के लिए कई सांस्कृतिक रियायतों की मांग नहीं की गई क्योंकि उन्होंने अपने पारंपरिक कपड़े पहनना जारी रखा, और उन नौकरियों से इनकार कर दिया जिनमें उन्हें पश्चिमी कपड़े पहनने की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में, इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सिखों में भी, केवल वृद्ध महिलाएं ही बाहर कार्य करती थीं। युवा पत्नी और बेटियां घर गृहस्थी के कार्य और बच्चों की देखभाल किया करती थीं। जैसे जैसे आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ने लगीं न केवल युवा सिख महिलाएं, बल्कि अन्य समुदायों की महिलाएं भी घर से बाहर काम करने लगीं। महिलाओं द्वारा अर्जित आर्थिक लाभ के कारण उनके बाहर कार्य करने का प्रतिरोध धीरे-धीरे नगण्य होने लगा। इस तरह से भारतीय प्रवासी परिवार एक समेकित समूह के रूप में स्थापित हुआ जहाँ सदस्यों के बीच संबंध, सामान्य लक्ष्यों और मानदंडों को प्राथमिकता दी जाती थी।

4. निष्कर्ष:

ब्रिटेन में भारतीय प्रवासन बीसवीं शताब्दी की घटना नहीं थी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से ही ब्रिटेन में एक भारतीय मध्यम वर्ग था, जो डॉक्टरों, छात्रों, विधिवक्ताओं, व्यापारियों और शिक्षाविदों (रॉबिन्सन 1990: 291) से बना था। ब्रिटेन को औपनिवेशिक काल के दौरान आप्रवासन आबादी के लिए एक गंतव्य स्थान बनने के कई कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में वृद्धि आयी और श्रमिकों की कमी होने लगी तब आप्रवासियों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वही मजदूरी जो अंग्रेजों द्वारा कम मानी जाती थी, आप्रवासियों के लिए के लिए वही पर्याप्त से भी अधिक थी शॉ (1988: 9)। यह स्पष्ट है कि भारत से ब्रिटेन के लिए प्रवासन में ऐसे समूह शामिल थे जो रिश्तेदारी और सामाजिक ताने बाने में बंधे हुए थे। अवसरों को उपलब्ध और

अर्जित करने में सक्षम ये सम्बन्ध प्रवासियों को प्रतिबंधित भी करते थे | पत्नियों और बच्चों के आगमन से ये प्रवृत्तियां और सुदृढ़ हुईं और पारिवारिक जीवन में अनुरूपता और स्थिरता लाने में सफल हुईं |

संदर्भ-सूची:

1. Zig Layton-Henry. (1984): The Politics of Race in Britain, George Allen and Unwin, London.
2. Pierre L van den Berghe. (1981): The Ethnic Phenomenon, Elsevier, New York.
3. Robert A Huttenback. (1976): Racism and Empire: White Settlers and Coloured Immigrants in the British Self Governing Colonies 1830-1910, Cornell University Press, London.
4. Vaughan Bevan. (1986): The Development of British Immigration Law, Croom Helm, Kent.
5. Nicholas Deakin et al. (1970): Colour, Citizenship and British Society, Panther Books, London.
6. Gurdip Singh Aurora. (1967): The New Frontiersmen: A Sociological Study of Indian Immigrants in the United Kingdom, Popular Prakashan, Bombay.
7. Joyce Pettigrew. (1972): Some Observations on the Social System of the Sikh Jats, New Community, Vol-1, No-5, pp. 354-363.
8. Ernest Krausz. (1972): Ethnic Minorities in Britain, Granada Publishing Limited, London.
9. K. G. Hahlo. (1980): Profile of a Gujarati Community in Bolton, New Community, Vol-8, No-3, pp. 295-307.
10. Vaughan Robinson. (1990): Boom and Gloom: The Success and Failure of South Asians in Britain, South Asian Overseas: Migration and Ethnicity, edited by Colin Clark, Ceri Peach and Steven Vertover, Cambridge University Press, Cambridge.
11. D. P. Ghai and Y. P. Ghai. (1970): Portrait of a Minority: Asians in East Africa, Editor, Oxford University Press, London.
12. Badr Dahya. (1973): Pakistanis in Britain: Transients or Settlers, Race, Vol-14, No-3, pp. 241-277.
13. Bashir Mann. (1992): The New Scots: The Story of Asians in Scotland, John Donald Publishers, Edinburgh.
14. Patricia Jeffery. (1976): Migrants and Refugees: Muslim and Christian Pakistani Families in Bristol, Cambridge University Press, London.
15. Muhammad Anwar. (1979): The Myth of Return: Pakistanis in Britain, Heinemann, London.
16. Roger Ballard. (1990): "Migration and Kinship: The Differential Effect of Marriage Rules on the Process of Punjabi Migration to Britain, South Asian Overseas: Migration and Ethnicity, edited by Colin Clark, Ceri Peach and Steven Vertover, Cambridge University Press, Cambridge.
17. E. J. B. Rose with Nicholas Deakin, et al. (1969): Colour and Citizenship: A Report on British Race Relations, Published for The Institute of Race Relations by Oxford University Press, London.
18. Alison Shaw. (1988): A Pakistani Community in Britain, Basil Blackwell, Oxford.